रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

Regarding Toll rates

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2009/माघ 10, 1930

No. 212] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2009/MAGHA 10, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2009

का.आ. 369(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1192 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2001, का.आ. 196 (अ), तारीख 6 मार्च, 2000 और का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के क्रमशः 9.400 कि.मी. से 22.300 कि.मी., 22.300 कि. मी. से 34.800 कि.मी. और 34.800 कि.मी. से 463.632 कि.मी. (हैदराबाद से बैंगलौर खंड) तक के भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था ;

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में (i) 34.140 कि.मी. (फरूखनगर) से 80.050 कि.मी. (जडचेरला) तक को विधमान दो लेन वाली सड़क के चार लेन वाले विभाजित वहन मार्ग के विकास प्रचालन और अनुरक्षण और (ii) 22.30 कि.मी. (थोंडापल्ली) से 34.140 कि.मी. खंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खंड कहा गया है) के पहले से चार लेन वाले खंड के सुचारु प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स जी.एम.आर. जडचेरला एक्सप्रैसवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एम22/3आर.टी., 6-3-866/1/जी-2, ग्रीनलेंडस, बेगुमपेट, हैदराबाद - 500016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 22.300 कि.मी. से 80.050 कि.मी. (थोंडापल्ली-जडचेरला खंड) तक के खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अंतर्ग्रस्त व्यय, विनिदत्त

पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किये गये करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में यांत्रिक यानों पर विनिर्दिष्ट अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत और संदत्त की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही इनमें से जो भी पूर्वत हो, करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति तक फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अनुसूची

आन्ध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, के 22.300 कि.मी. से 80.050 कि.मी. (थोंडापल्ली – जडचेरला खंड) तक के उक्त खंड के उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली आधार फीस की दर ।

फीस केवल पथकर प्लाजा 54.000 कि.मी. पर संग्रहीत की जाएगी ।

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	आधार फीस प्रति यान प्रति फेरा फीस की दर (रूपए प्रति कि.मी.)
(1)	(2)	(3)
1.	मोटर कार, यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यक यान (एल सी वी)	0.70
3.	ट्रक/बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान(>दो धुरीय)	2.25

टिप्पणः-

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :-

(i) "वास्तविक फीस" से उक्त खंड के सड़क प्रयोक्ताओं से निम्नलिखित आधार पर वसूल की गई वास्तविक फीस अभिप्रेत है:-

(क) परियोजना राजमार्ग की लम्बाई ।

(ख) इस आधिसूचना की सारणी में दी गई आधार फीस,
और फीस एक रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारिख अभिप्रेत है जिसको आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, के 22.300 कि.मी. से 80.050 कि.मी (थोंडापल्ली से जडचेरला खंड) पर वाणिज्यिक प्रचालन प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के पूरा होने पर, यथास्थित, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है ।

(iii) कार/जीप/वैन के लिए संदेय फीस के सम्बंध में "स्थानीय यातायात" से निम्नलिखित प्रकार का यातायात अभिप्रेत है ।

(क) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग " से निम्नलिखित अभिप्रेत है ।

(1) ऐसे ग्रामों या कस्बों या शहर के निवासी जिसकी सीमा फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) से 10 कि.मी. के घेरे के भीतर आती है ;

(2) ऐसे स्थापन या औद्योगिक इकाईयां, जो फीस संग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) के 10 कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित हैं या उनका कार्यालय है ।

(3) स्वनियोजित व्यक्ति या कारोबारी जिनका काम करने का स्थान फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित है

(ख) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग II" में निम्नलिखित ;

(1) ग्रामों या कस्बों या शहर के निवासी जिसकी सीमा फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक के घेरे के भीतर आती है ।

(2) ऐसे स्थापन या औद्योगिक ईकाईयां जो फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 कि.मी. से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित हैं या उनका कार्यालय है ;

(3) स्वनियोजित व्यक्ति या कारोबारी जिनका काम करने का स्थान फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 कि.मी. से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित है

(iv) "समाप्ति की तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ।

(v) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु उक्त खंड के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो, उक्त करार में क्रमशः उनके हैं ।

2. फीस की दर और प्रत्येक 1 सितंबर के प्रभावी उसका पुनरीक्षण की संगणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी :-

$$\text{आधार फीस} \times \frac{\text{डब्लयू पी आई-बी}}{\text{डब्लयू पी आई-ए}} \times \text{उक्त खंड की लम्बाई}$$

जहां

*डब्लयू पी आई-ए = जून 1997 को विधमान थोक कीमत सूचकांक है (131.4)

*डब्लयू पी आई-बी = फीस पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लिए थोक कीमत सूचकांक है

* डब्लयू पी आई से थोक कीमत सूचकांक से अभिप्रेत है जो आर्थिक सलाहाकार, वाणज्यिक और औधोगिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है ।

3. जब एक ही यान को राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में पथकर प्लाजा को पार करते समय ऊपर अनुसूची में दी गई दरों पर अनेक चक्करों के लिए डेढ़ गुणा फीस का एक ही बार संदाय कर दे या यदि उसी यांत्रिक यान को उक्त खंड का पूरे मास में या उसके बाद भी लगातार और बार-बार प्रयोग करना हो तो यान का स्वामी पूर्वोक्त अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट एक

फेरे के लिए उसको लागू दस (10) के तीस (30) गुणा के समतुल्य प्रभारों के संदाय पर मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए 'दिन' की संगणना से चौबिस घंटे की निरंतर अवधि के रूप में की जाएगी ।

5. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संग्रहीत नही की जाएगी, अर्थात:-

(i) ऐसे यान -

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति " प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;

(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;

(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों; या

(छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;

(आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;

(ii) रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथा विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं ।

(iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्त्तव्यारूढ़ यान ।

6. रियायतग्राही स्थानीय यातायात से निम्मिलिखित छूट प्राप्त दरों से फीस वसूल संग्रहीत करेगा ।

(i) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 1 : 150.00 रूपये का मासिक पास

(ii) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 2 : 300.00 रूपये का मासिक पास

7. राज्य परिवहन बसों के लिए मासिक पास करार की असुविधाओं के अनुसार दिए जाएंगे ।

8. स्कूली छात्रों को ले जाने वाली स्कूल बसों के लिए पथकर प्लाजा पार करने के लिये स्कूल के प्राचार्य के लिखित अनुरोध के साथ स्कूल की मान्यता तथा बस का रजिस्ट्रीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्राप्ति पर 1,000/- रू० (एक हजार रूपये) की दर से मासिक पास जारी किये जायेंगें ।

9. परिवहन प्रचालकों को 20 कि.मी. के भीतर केवल चलानें का सबूत प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक प्रवेश के लिए ट्रकों के लिये 25 रू० (पच्चीस रूपये) और हल्के वाणज्यिक वाहनों के लिये 15 रू० (पन्द्रह रूपये) रियायती फीस ली जाएगी :

परन्तु, जहां स्थानीय यातायात द्वारा स्वतंत्र उपयोग के लिए पृथक सेवा लेन खुली हुई है वहाँ इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रियायती दरें लागू नहीं होंगी ।

10. रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले इस अधिसूचना का सार कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) प्रकाशित करेगा, जिसमें इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का भी उल्लेख होगा और ऐसा सार, इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित फीस को प्रभावी करने के लिए 10 दिन पहले पुनः प्रकाशित किया जाएगा ।

11. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और उस रियायतग्राही का नाम, पता और टैलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर बूथों से 500 मी. आगे, पथकर बूथों से 100 मी. आगे और पथकर बूथों पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किए जाएंगे और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालक संप्रदर्शन बोर्ड को सरलता से पढ़ें सकें ।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/417/08–09/सी.ओ./जीसी हैदराबाद (फरूखनगर–जडचेरला) बीओटी]

प्रभाकर, उप-सचिव

430 GI/09-2

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2009

S.O. 369(E).—Whereas, by the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1192(E) dated 3rd December, 2001, S.O. 196 (E), dated 6th March, 2000, and S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of the India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as said Act, the Central Government entrusted the stretches from Km 9.400 to km 22.300, from Km 22.300 to Km 34.800 and from Km 34.800 to Km 463.632 respectively (Hyderabad - Bangalore section) of National Highway No. 7 in the State of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s GMR Jadcherla Expressways Pvt. Ltd. having its registered office at M22/3RT, 6-3-866/1/G-2, Greenlands, Begumpet, Hyderabad - 500016 (hereinafter referred to as the "Concessionaire") for (i) the development, operation and maintenance of the existing two lane road to four lane divided carriageway from Km 34.140 (Farukhnagar) to Km 80.050 (Jadcherla) and (ii) improvement, operation and maintenance of the already four laned section from Km 22.300 (Thondapalli) to Km 34.140 (hereinafter referred to as the said stretch);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said stretch of the said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles specified in column (2) of the Schedule below for the use of the stretch from Km. 22.300 to Km 80.050 (Thondapali – Jadcherla Section) of National Highway number 7 in the state of Andhra Pradesh at the rate specified in column (3) of the Schedule and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement.

SCHEDULE

Rates of base fee to be recovered from the users of the said stretch from km. 22.300 to km. 80.050 of National Highway Number -7 (Thondapali – Jadcherla section) in the state of Andhra Pradesh.

The fee shall be collected at the Toll Plaza at Km. 54.00

Table

S. No.	**Category of Vehicle**	**Rate of base fees per vehicle per one way trip per Km. (in rupees)**
(1)	(2)	(3)
1	Car, passenger van or jeep	0.40
2	Light Commercial Vehicles (LCV)	0.70
3	Truck/Bus	1.40
4	Multi Axle Vehicle (>2 axle)	2.25

Notes:-

1. For the purposes of this notification,-

(i) "actual fees" means the fees actually charged from the road users of the said stretch on the basis of,
(a) length of the project highway.
(b) base fee given in the Table to this notification
and shall be rounded off to nearest one rupee.

(ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the Section from Km 22.300 to Km 80.050 (Thondapalli – Jadcherla Section) of National Highway No. 7 in the State of Andhra Pradesh begins after issue of the completion certificate or the provisional completion certification as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of the said section of the said National Highway in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;

(iii) "local traffic" means the following type of traffic in relation to the fee payable for car/jeep/van,

(a) "Local Traffic category I" means;

(1) residents of villages or towns or cities whose boundary falls within a radius of 10 km of the fee collection booths (toll plaza);
(2) establishments or Industrial units located or having office within a radius of 10 km of the fee collection booths (toll plaza) and their employees;

4430 GI/09-3

(3) self employed persons or businessmen having a place of work within a radius of 10 km of the fee collection booths (toll plaza).

(b) "Local Traffic category II" means;

(1) residents of villages or towns or cities whose boundary falls within a radius of more than 10 km but upto 20 km of the fee collection booths (toll plaza);

(2) establishments or Industrial units located or having office within a radius of more than 10 km but upto 20 km of the fee collection booths (toll plaza) and their employees;

(3) self employed persons or businessmen having a place of work within a radius of more than 10 km but upto 20 km of the fee collection booth (toll plaza).

(iv) "termination date" means the date on which the said agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by a termination notice;

(v) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said stretch shall have the same meaning as assigned to them respectively in the said agreement.

2. The rate of fee and revision thereof effective from 1st September every year shall be computed (computed fee) as follows:-

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \times \text{length of the said section}$$

Where

- WPI-A = is the Wholesale Price Index on June, 1997 (131.4).
- WPI-B = is the Wholesale Price Index for the end of the preceding financial year.
- WPI means the Whole Sale Price Index as released by the Office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Government of India or any other index replacing the same.

3. When the same vehicle has to cross the said stretch of the National Highway more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for multiple trips at one and half times the rates as given in the Schedule above while crossing the toll plaza in the first trip itself. If the vehicle has to use the said stretch continuously and frequently for the entire month or even beyond that, the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to thirty (30) times rate applicable for single trip as specified in the aforesaid Schedule.

4. For the purpose of this notification "day" shall be counted as continuous period of twenty-four hours.

5. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-

(i) Vehicles-

(A) having VIP symbols or officially belonging to:

(a) the President of India;
(b) the Vice-President of India;
(c) the Governor of a State and Lt. Governor of a Union territory;
(d) a Foreign dignitary on State visit to India;
(e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
(f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislature Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle; or
(g) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;

(ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);

(iii) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

6. Concessionaire shall collect fees from Local Traffic in the following concessional rate;

i) Local Traffic Category I:	Monthly pass of Rs 150.00
ii) Local Traffic Category II:	Monthly pass of Rs 300.00

7. Monthly passes for the State Transport buses shall be given as per the contents of the agreement.

8. Monthly passes for School buses, for school students, crossing the toll plaza shall be provided at a monthly rate of Rupees one thounsand subject to the condition that a written request of the school principal along with the recognition of the school and the registration certificate of the bus is supplied.

9. Concessional rate of rupees twenty five for truck and rupees fifteen for light commercial vehicle for each entry shall be applicable to the Transport Operators only on production of proof for plying within 20 km.

Provided that where a separate service lane is opened for free use by local traffic, the concessional rates specified in this notification shall not be applicable.

10. The concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

11. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

[F. No. NHAI/13013/417/08-09/CO/GC Hyderabad(Farukhnagar-Jadcherla) BOT]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.